न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला – अजमेर

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का जालिया जामोला बनाम श्री मोहन पुत्र मंगला प्रकरण सं. 163 / 2019
जाति ....निवासी

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट

—:निर्णय:—

दिनांक 13-8-2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का जालिया जामोला द्वारा सम्वत 2076 ग्राम जालिया जामोला की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 148/2 कुल रकबा (68) किस्म भूमि गै.मु.बरड़ा में से रकबा 1) बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री मोहन पुत्र मंगला जाति रावत निवासी जालिया जामोला द्वारा नाजायज कोटा व पत्थर (5m कर लिये जाने की भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधानो के तहत नोटिस दिनांक 13/8/2019 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अत: अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है। अप्रार्थी उपस्थित।

मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एव मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार **सिवायचक** खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है।

अत: श्री मोहन पुत्र मंगला जाति रावत निवासी जालिया जामोला को **सिवायचक** भमि ग्राम जालिया जामोला के खसरा न0 148/2 कुल रकबा 60.2) किस्म भूमि गै.मु.ब में से रकबा 1) भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे / काश्त के लिए **अतिक्रमी** घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान ..... का पचास गुणा 10/– रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल / अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतू तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13-8-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एव शामिल मिसल किया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
तहसीलदार मसूदा
जिला – अजमेर

वर्ष 2019-20 के रा.ले. 4 रजिस्टर के
44 पृष्ठ सं. पर रु. 10 की
मांग कायम की गई।

त.रा.ले. [illegible]
14/8/19